प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

सेवामें,

प्रबन्धक,
नारायण पब्लिक स्कूल,
मानशाहपुर खपरहा सिकरारा,
जौनपुर।

पत्रांक/मान्यता/ 10256-59 /2019–20 दिनांक 22-1-2020

विषयः निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन **अंग्रेजी माध्यम** विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

जांच अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आख्या/संस्तुति तथा उ0प्र0 शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 के द्वारा गठित समिति के निर्णय दिनांक 21.01.2020 के अनुक्रम में आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चावर्ती पत्राचार/निर्णय के प्रतिनिर्देश नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए **नारायण पब्लिक स्कूल मानशाहपुर खपरहा सिकरारा, जौनपुर** को दिनांक 22.01.2020 से 21.01.2021 **कक्षा 01 से कक्षा 05 (अंग्रेजी माध्यम)** के लिए मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है –

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 05 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपाबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 01 में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेंगा, और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा, विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।
   - ► प्रवेश दिये गये किसी भी पालन को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय में निष्काशित नही किया जायेगा।
   - ► किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जायेगा।
   - ► प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   - ► प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - ► अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःश्वक्षता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।
   - ► अध्यापको की भर्ती की अधिनियम की धारा 23 (1) अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नही है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेगें।
   - ► अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है।
   - ► अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन–क्रिया कलापो में नियोजित नही करेंगें ।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविर्निदिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है–'

   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल ।
   कुल निर्मित क्षेत्रफल ।
   क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल ।
   कक्षाओ की संख्या ।
   प्राध्यापक–सह कार्यालय, सह भंडारागार के लिए कक्ष ।
   बालको और बालिकाओ के पृथक शौचालय ।
   पेय जल सुबिधा ।
   मीड–डे–मील पकाने के लिए रसोई ।
   बाधा रहित पहुच ।
   अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता ।

9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये और नही चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं के प्रयोजनाओं के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 को 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी बिधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियो के समूह का संगम या किसी अन्य व्यक्तियो के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाटर्ड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए, और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक ✖ है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के शतप्रतिशत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायेगा।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजात/अभिलेख किसी भी स्तर पर कूट रचित अथवा फर्जी अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्याहरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विद्यालय संचालन मे आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी श्रोतों से वहन किया जायेगा ।

भवदीय

(राजेन्द्र सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।

पृ0सं0/मान्यता/ /2019–20 दिनांक–उक्तवत ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल वाराणसी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित विकासखण्ड/नगर क्षेत्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुन निरीक्षण कर ले और पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लें कि विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है। और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण पत्र के निर्गत होने की पुष्टि कर ले, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र क्रियाशील तथा शासनादेश दिनांक 11 जनवरी 2019 के द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा कि स्थिति में एक सप्ताह के अंदर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. कार्यालय प्रति ।

(राजेन्द्र सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जौनपुर ।